

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 मई 2023—वैशाख 14, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मई 2023

क्र. CT-4-0003-2022-Sec-1-पाँच(CT)(15).— यतः, राज्य सरकार का विचार है कि, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन, राजपत्र में बिना पूर्व प्रकाशन के तत्काल किया जाए.

अतएव मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त उक्त नियमों में, नियम 21 में, उप-नियम (2-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2-क), उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई पंजीकृत विक्रेता, जो अधिनियम के अधीन देय कर के भुगतान के पश्चात् अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचित किसी भी तेल कंपनी से मध्यप्रदेश राज्य के भीतर क्रय किए गए पेट्रोल और डीजल का मुख्य रूप से अधिनियम की अनुसूची-दो के भाग तीन-क में उल्लिखित किए गए अनुसार विक्रय करता है, नियम 36 में उपबंधित रीति में कर का भुगतान करेगा और वर्ष की समाप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसे भुगतान के प्रमाण के रूप में चालान की प्रति के साथ प्ररूप 10 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा.”.

(2) यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2023

क्र. CT-4-0003-2022-Sec-1-पाँच(CT).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्र. CT-4-0003-2022-Sec-1-पाँच(CT)(15), दिनांक 4 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 4th May 2023

No. CT-4-0003-2022-Sec-1-V(CT)(15).—WHEREAS, the State Government considers that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 shall be made at once without previous publication in the official Gazette.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:-

AMENDMENT

In the said rules, in rule 21, for sub-rule (2-A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-rule (2), a registered dealer, who predominantly sells petrol and diesel as mentioned in Part III-A of Schedule-II of the Act, purchased within the State of Madhya Pradesh from any of the oil companies notified under sub-section (2) of section 9 of the Act, after payment of tax payable under the Act, shall pay tax in the manner provided in rule 36 and furnish an annual return in Form 10 alongwith copy of challans as proof of such payments within thirty days of the expiry of the year.”.

2. This amendment shall be deemed to have been come into force from 1st April 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R.P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.